न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2017 III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3952

रामप्रसाद पटेल पुत्र श्री बद्री प्रसाद पटेल,
निवासी–मेडियारास, तहसील व जिला अनूपपुर।

---आवेदक

विरूद्ध

1 श्रवण कुमार पुत्र रामप्रसाद पटेल,
2. भूषण पुत्र रामप्रसाद पटेल,
3. शिवकुमार पुत्र चरकू पटेल,
समस्त निवासीगण–मेडियारास, तहसील व जिला अनूपपुर।

----अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण कमांक 291/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31/08/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> –

1. यह कि, ग्राम चचाई वीरान में स्थित भूमि सर्वे कमांक 79/1 रकवा 1.588 हेक्टेयर आवेदक एवं उसकी मां कोमवती/सोमवती विधवा पत्नी बद्री प्रसाद के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है।
2. यह कि, अनावेदक कमांक 1 व 2 आवेदक के पुत्रों ने कूट रचना कर आवेदक एवं उसकी मां कोमवती/सोमवती के फर्जी हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लगाकर नामातंरण पंजी पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक एवं उसकी मां को कोई सूचना दिये बिना राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 07/09/1988 को बंटवारा/नामातंरण आदेश पारित किया गया था, जबकि राजस्व निरीक्षक को बंटवारा एवं विवादित नामातंरण की अधिकारिता ही नही थी।

rd-1com-3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / अनूपपुर / भू0राज0 / 2017 / 3952

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3 –11–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का आवेदक रामप्रसाद पटेल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों को बटवारा में भूमि प्रदान कर दी गई थी। उक्त पंजी पर आवेदक के हस्ताक्षर भी अंकित पाये हैं। अनावेदक शिवकुमार के नाम नामांतरण करने में सहमति भी प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	